

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL  
PROCEDURE CODE, 1898**

**In the Court of:-** राम अचल पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.  
Sum No-391/2022 Complaint/ report made on 13-10-2022

Name and address of the complainant. शासन पुलिस जयसिंहनगर वि. कमलेश सिंह गोंड

Name, parentage, caste and address of accused

अभियुक्त-कमलेश सिंह गोंड पिता मलंगा सिंह गोंड उम्र-45 वर्ष, निवासी-बिजहा, थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र.

The offence complained of, and date of, its alleged commission

1- आपने दिनांक 12.05.2022 को 17:30 बजे स्थान आरोपी के घर के पीछे बाड़ी, बिजहा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र. पर स्वयं के आधिपत्य में 10 लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ शराब अवैध रूप से आधिपत्य में रखी ।

आपका उक्त कृत्य धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम 1915 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान में है। अतः आप अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

सही /  
(राम अचल पाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0प्र0)

The plea of the accused and his examination (if any)-

मुझे अपराध स्वीकार है।

सही /  
(राम अचल पाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0प्र0)

The offence proved, if any, and in case under (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of Sub-section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

--:: निर्णय ::--

// आज दिनांक 13.10.2022 को घोषित //

1- अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

2— अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने की अपेक्षा न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

3— अतः अभियुक्त को धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए न्यायालय अवधि अवसान तक का कारावास एवं **1200/— रुपये ( एक हजार दो सौ रुपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

4— प्रकरण में जप्तशुदा हाथ भट्टी महुआ जिसमें **10 लीटर देशी हाथ भट्टी** महुआ शराब के मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,  
दिनांकित कर घोषित किया गया । )

( मेरे बोलने पर टंकित किया गया)

सही /  
(राम अचल पाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0प्र0)

सही /  
(राम अचल पाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0प्र0)